# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2024-133Ju2024-55 Mohanram Vs state

---

मोहनराम पुत्र श्री हड़मानराम, जाति विश्नोई, निवासी- ग्राम माडपुरा, तहसील बाप, जिला फलोदी।

**अपीलाण्ट...**

**ब**

**ना**

**म**

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला फलोदी।

**रेस्पो. ...**

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप दिनांक 28 फरवरी 2024 राजस्व वाद संख्या 59/2017 मोहनराम बनाम सरकार**

------- 0 -------

**उपस्थित-**

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

## निर्णय

**दिनांक : 03 जनवरी 2025**

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 59/2017 मोहनराम बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 22 अप्रैल 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने एक वाद घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का पेश किया कि गांव माडपुरा, तहसील बाप जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी) में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 145 कुल रकबा 675.02 बीघा में सें रकबा 30 बीघा पर वादी का पीढियों से कब्जा काश्त है। उक्त भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर वादीगण का पूर्वजों के समय से सेटलमेंट से पूर्व कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है। वादी ने वाद के साथ खसरा नं. 145 का नजरी नक्शा संलग्न कर नजरी नक्शा में दर्शाये गये 30 बीघा भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं उसका नाम राजस्व रेकर्ड में नाम अमल दरामद किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा। उपरोक्त वाद में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार की तरफ से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद खारिज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत तथा इंसाफन व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। विचारण न्यायालय को वादी के वाद में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2017 की पालना में निस्तारित करना था, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की अवहेलना करते हुए वादी के वाद को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में खारिज करने में भंयकर कानूनी भूल की है। माननीय न्यायालय का निर्देश था कि वादी के वाद में जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। विचारण न्यायालय द्वारा वादी की साक्ष्य लेकर पत्रावली को प्रतिवादी की साक्ष्य में रखकर बिना प्रतिवादी की साक्ष्य लिये, बिना तनकीवार निर्णय किये पुनः आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर वादी के वाद को खारिज कर दिया। एक नियमित वाद में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र का एकबार निस्तारण हो जाने के उपरांत इसी वाद में पुनः आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था। स्वयं विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2020 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था अर्थात आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पूर्व में निस्तारित हो चुका था। इस कारण पुनः उसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में विचारण न्यायालय द्वारा भंयकर कानूनी भूल की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2024 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वादी के वाद में तनकीयात कायम की जाकर बाद साक्ष्य सुनवाई मामले का गुणावगुण पर पुनः निर्णय किया जावें।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। अपीलांट्स के विरुद्ध समय-समय पर कार्यवाही की जाकर उन्हें बेदखल किया गया है। सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी के वाद को सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को दिया जाना विधिसम्मत नहीं मानकर प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 7 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर वादी का वाद खारिज कर दिया गया। आदेश 07 नियम 11 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि न्यायालय द्वारा वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11 पर खारिज किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पर निर्णय से पहले कानूनी विवाधक कायम किया जावे तथा उभय पक्ष को उक्त विवाधक के समर्थन में साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिसम्मत निर्णय किया जावें।

यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2020 को प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को खारिज किया जा चुका है। वाद में पुनः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को खारिज किया गया है जो विधिसम्मत नहीं पाया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 2016/77 अनवान मोहनराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2017 के जरिये विचारण न्यायालय को वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत दावे एवं जवाब के आधार पर यथोचित तनकियात कायम की जाकर उभय पक्षकारान् को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण कर अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए अधिकतम तीन माह की अवधि मे निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त निर्देशों की पालना किये बिना प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 7 सीपीसी पर वाद विचारण प्रक्रिया के तहत बिना तनकीयात कायम किये तथा वादी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वाद खारिज किया जाना पाया जाता है जो प्राकृतिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी निर्धारित विधिक प्रकिया एवं अदालत हाजा द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में प्रदत निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट्स अवसर प्रदान किये बिना, बिना तनकीयात कायम किये,पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 59/2017 मोहनराम बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 28 फरवरी 2024 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर, पक्षकारान को विधिवत साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जावे और इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार निष्कर्ष पारित कर मूल वाद का निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर